दिनांक 23.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 34/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया उ0प्र0 को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस के 73वें पुलिस झण्डा दिवस के गौरवशाली अवसर पर आज दिनांक 23–11–2024 को **माननीय राज्यपाल, महोदया उ0प्र0 श्रीमती आनन्दी बेन पटेल** को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगवाया गया एवं पुलिस झण्डा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस के 73वें पुलिस झण्डा दिवस के गौरवशाली अवसर पर आज दिनांक 23–11–2024 को **माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी** को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया एवं पुलिस झण्डा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस मुख्यालय में पुलिस झण्डा दिवस 2024 (Police Flag Day) का आयोजन किया गया

आज दिनांक 23–11–2024 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के प्रांगण में '**पुलिस झण्डा दिवस**' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ध्वज को ध्वज स्तम्भ के निकट ससम्मान लाया गया। **श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का अभिवादन किया गया एवं बैण्ड द्वारा **'सारे जहाँ से अच्छा'** धुन बजायी गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुअल, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा गया :–

प्रिय साथियों,

आज हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के 73वें झण्डा दिवस के गौरवशाली अवसर पर एकत्रित हुये हैं। इस दिन हम अपने ध्वज की गरिमा एवं इसके प्रति अपने दायित्वों का स्मरण करते हैं।

हम सभी अवगत हैं कि 23 नवम्बर 1952 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस कार्य के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का प्रथम 'राज्य पुलिस बल' है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 'पुलिस कलर' अर्थात पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। यह ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और बलिदान का सजीव दस्तावेज़ है। यह हमारी शौर्यगाथाओं का अमर धरोहर है, जो हमें हर क्षण अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है।

23 नवम्बर, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये गौरवशाली, ऐतिहासिक एवं अतिमहत्वपूर्ण दिन है। शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक, लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस

को एक गौरवमयी पहचान दी है। पुलिस विभाग के प्रति निष्ठावान हमारे वीर साथियों की जन–सेवा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम तथा आत्म बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज प्राप्ति की इस गौरवमयी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त हो सका। पुलिस ध्वज के फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें आत्माभिमान की अनुभूति होती है और हम सभी में कर्तव्यनिष्ठा की नई ऊर्जा संचरित होती है, जो हमें नये जोश और उत्साह के साथ कर्तव्यपालन के लिए प्रेरित करती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल का इतिहास स्वर्णिम एवं गौरवशाली रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल एकल कमान के अन्तर्गत विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में उच्चकोटि का अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना ऐसे कार्य हैं, जिनमें पुलिस कार्मिकों को न केवल निरन्तर सजगता व सतर्कता बरतनी होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण नई चुनौतियों का सामना करते हुये अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है।

मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, उनके अमूल्य निर्देशन में सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदेश को माफियाओं एवं संगठित अपराधियों से मुक्त करते हुये एक सुरक्षित एवं समृद्ध प्रदेश का निर्माण कर जनता में सरकार का विश्वास कायम किया है। मैं इन उपलब्धियों के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक सदस्य को कोटि–कोटि बधाई देता हूँ।

आज, इस ऐतिहासिक अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। इस ध्वज की गरिमा निरन्तर हमारी प्रेरणा बनी रहे और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्गदर्शन करता रहे।

अन्त में पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनायें देते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस गौरवशाली अतीत की गरिमामयी उपलब्धि का सम्मान बनाये रखेंगे और अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक दक्षता से ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्णिम इतिहास में नित नये आयाम स्थापित होते रहें।

जय हिन्द!

1

1

दिनांक 23.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 35/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद पीलीभीत/थाना हजारा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 23.11.2024 को थाना हजारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा पिलर नं0–35 बाजारघाट बैल्हा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हजारा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हजारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लक्ष्मण निवासी ग्राम बाजारघाट बैल्हा थाना हजारा जनपद पीलीभीत।

जनपद सीतापुर/थाना तालगांव

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 23.11.2024 को थाना तालगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया ग्राम कैमहरा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालगांव पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तालगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी ग्राम बखरिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर।

जनपद जौनपुर/थना खुटहन

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.11.2024 की रात्रि थाना खुटहन व थाना खेतासराय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेठुआपारा नहर पटरी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त निसार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुटहन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—निसार निवासी मारूखपुर थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना एक्सप्रेसवे</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.11.2024 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेनबो फार्म हाउस से आगे बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नितिन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मोहन उर्फ मोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तान अभियुक्त नितिन के विरूद्ध के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नितिन निवासी रामनगर कालोनी अटौर थाना नंदग्राम , गाजियाबाद।

2–मोहन उर्फ मोनू निवासी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1–05 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 23.11.2024 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करेली रोड शराब ठेके के पीछे बंद पड़ा भट्टा चन्दौसी से 05 अभियुक्तों 1–सचिन 2–अरूण कुमार 3–आदित्य 4–संजीव 5–पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी ग्राम दिनौरा थाना धनारी जनपद सम्भल।

2–अरूण कुमार निवासी मो0 प्रेमनगर थाना चन्दौसी जनपद सम्भल।

3–आदित्य निवासी मो0 प्रेमनगर थाना चन्दौसी जनपद सम्भल मूलनिवासी प्रीत विहार/बैंक कालोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

4–संजीव निवासी आरीखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

5–पवन निवासी चामुंडा के पीछे गली नं0–01 थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

जनपद खीरी/थाना फूलबेहड़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 23.11.2024 को थाना फूलबेहड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पिपरा गूम गन्ने के खेत से 02 अभियुक्तों 1–कुतबुद्दीन 2–मो0 जैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवसाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुतबुद्दीन निवासी काजीपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी।

2–मो0 जैद निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

- **जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना माखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना माखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1–इरफान उर्फ बाबू 2–इरशाद 3–दिलशाद को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/354 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बोबी को 07 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————